

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 164/2013 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

मृतक नन्दलाल पोरवाल के बजाय -

- 1- अभिषेक पिता नन्दलाल पोरवाल निवासी निकुम्भ तह. बड़ीसादड़ी
- 2- मुकेश पिता नन्दलाल पोरवाल निवासी निकुम्भ तह. बड़ीसादड़ी
- 3- प्रियंका पुत्री नन्दलाल पोरवाल निवासी निकुम्भ तह. बड़ीसादड़ी
- 4- तारा पत्नि नन्दलाल पोरवाल निवासी निकुम्भ तह. बड़ीसादड़ी

—वादीगण

बनाम

मृतक नारायण माली के बजाय -

- 1- नन्दलाल पिता नारायणलाल माली निवासी निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
- 2- आशाराम पिता नारायणलाल माली निवासी निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
- 3- रतनी पुत्री नारायण माली पत्नि शिवलाल माली निवासी निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
- 4- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

—प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- मृतक नन्दलाल पोरवाल के बजाय :-

अभिषेक पिता नन्दलाल 1/4 मुकेश पिता नन्दलाल 1/4 प्रियंका पुत्री नन्दलाल 1/4 तारा पत्नी नन्दलाल 1/4 पोरवाल सा. देह. के हिस्से में रहेगी :-

आ. नं.	रकबा	लगान
1755	0.93	12.09
1756	0.01	-
1757	0.01	-
कुल 3	0.95	12.09

2- नन्दलाल पिता नारायणलाल 1/3 आशाराम पिता नारायणलाल 1/3 रतनी पुत्री नारायण पत्नी शिवलाल 1/3 माली सा.देह. के हिस्से में रहेगी :-

आ. नं.	रकबा	लगान
1441	0.31	2.17
1447	0.63	8.19
1448	0.02	0.14
1449	0.01	0.07
कुल किता 4	0.97	10.57

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्च... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



PTO

प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 164/2013 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

मृतक नन्दलाल पोरवाल के बजाय -

- 1- अभिषेक पिता नन्दलाल पोरवाल निवासी निकुम्भ तह. बड़ीसादड़ी
- 2- मुकेश पिता नन्दलाल पोरवाल निवासी निकुम्भ तह. बड़ीसादड़ी
- 3- प्रियंका पुत्री नन्दलाल पोरवाल निवासी निकुम्भ तह. बड़ीसादड़ी
- 4- तारा पत्नि नन्दलाल पोरवाल निवासी निकुम्भ तह. बड़ीसादड़ी

—वादीगण

बनाम

मृतक नारायण माली के बजाय -

- 1- नन्दलाल पिता नारायणलाल माली निवासी निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
- 2- आशाराम पिता नारायणलाल माली निवासी निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
- 3- रतनी पुत्री नारायण माली पत्नि शिवलाल माली निवासी निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
- 4- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

—प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- मृतक नन्दलाल पोरवाल के बजाय :-

अभिषेक पिता नन्दलाल 1/4 मुकेश पिता नन्दलाल 1/4 प्रियंका पुत्री नन्दलाल 1/4 तारा पत्नी नन्दलाल 1/4 पोरवाल सा. देह. के हिस्से में रहेगी :-

आ. नं.	रकबा	लगान
1755	0.93	12.09
1756	0.01	-
1757	0.01	-
कुल 3	0.95	12.09


2- नन्दलाल पिता नारायणलाल 1/3 आशाराम पिता नारायणलाल 1/3 रतनी पुत्री नारायण पत्नी शिवलाल 1/3 माली सा.देह. के हिस्से में रहेगी :-

आ. नं.	रकबा	लगान
1441	0.31	2.17
1447	0.63	8.19
1448	0.02	0.14
1449	0.01	0.07
कुल किता 4	0.97	10.57

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया।




प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी